राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–5488 / 2022

डॉ. टीकम चन्द आचार्य

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, चकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्किम, जयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीएमएचओ बांरा।
4. अधीक्षक, झालावाड़ चिकित्सालय एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी, झालावाड़।
5. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सीएचसी, शाहबाद, जिला बांरा।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 25.01.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अनुराग कुलश्रेष्ठ, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी की लम्बी अनुपस्थिति के संबंध में अपीलार्थी को नियम–16, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के तहत आरोप पत्र दिये गये। अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई, जिसमें दिनांक 26.10.2015 को अंतिम रूप से आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप पत्र प्रमाणित पाये जाने पर अपीलार्थी को सेवा से पदच्युत (Dismissal From Service) किये जाने के दण्ड से दण्डित किया। इसके पश्चात अपीलार्थी ने राज्यपाल महोदय के समक्ष पुनर्विलोकन याचिका प्रस्तुत की, जिसमें दिनांक 15.09.2021 को निम्न प्रकार से आदेश पारित किया गया है :–

> ''अतः माननीय राज्यपाल प्रस्तुत प्रकरण में डॉ. टी.सी.आचार्य, तत्कालीन कनिष्ठ विशेषज्ञ, (शिशुरोग) द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम–34 के अन्तर्गत प्रस्तुत पुनर्विलोकन याचिका को आंशिक स्वीकार करते हुए दण्डादेश दिनांक 26.10.2015 एवं अपीलादेश दिनांक 15.07.2016 को अपास्त कर डॉ. आचार्य की सेवा अधिवार्षिकी आयु 31.03.2017 के समाप्त होने के कारण डॉ. आचार्य की पाँच वार्षिक वेतन वृद्धियाँ कम कर वेतन नियत

किये जाने तथा डॉ. आचार्य की सेवा से अनुपस्थिति अवधि को अकार्य दिवस (Dies-non) किये जाने के एतद्वारा आदेश प्रदान करते है।''

2. अपीलार्थी का आगे कथन रहा है कि अपीलार्थी को दिनांक 28.02.2019 को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त किया गया। सेवानिवृत्ति के पश्चात अपीलार्थी को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान नहीं किये गये। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध चूंकि पदच्युत (Dismissal From Service) किये जाने का आदेश मान्य राज्यपाल महोदय द्वारा अपास्त कर अपीलार्थी की सेवा अधिवार्षिकी आयु 31.03.2017 के समाप्त होने के कारण अपीलार्थी की पांच वार्षिक वेतन वृद्धियां कम कर वेतन नियम किये जाने तथा अपीलार्थी की सेवा से अनुपस्थिति अवधि को अकार्य दिवस किये जाने का आदेश दिया जा चुका है।
3. अतः प्रत्यर्थी विभाग को यह आदेश दिया जाता है कि राज्यपाल महोदय के उपरोक्त आदेश के आलोक में अपीलार्थी को नियमानुसार देय सेवानिवृत्ति लाभ व अन्य देय लाभ इस आदेश के तीन माह में प्रदान किये जाये।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)